ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

वित्तीय वर्ष 2023-24

हरित जमा नीति एवं ऋण देने की प्रक्रिया

संस्करण 1.0

सामरिक संसाधन विभाग /जोखिम प्रबंधन विभाग प्रधान कार्यालय, बेंगलुरु

हरित जमा नीति एवं ऋण देने की प्रक्रिया

सूची

पैरा	विवरण	पृष्ठ सं.
	भाग ए –हरित जमा नीति	
1	प्रस्तावना	3
2	उद्देश्य	3
3	हरित जमा खाते के लिए नीतिगत ढांचा	3-4
4	योग्य हरित परियोजनाएँ	4
5	जमा संग्रहण	4
6	प्राप्त राशि का उपयोग	4-5
7	मूल्यांकन एवं चयन की प्रक्रिया	5
8	तृतीय पक्ष सत्यापन/आश्वासन एवं प्रभाव आकलन	5
9	प्रभाव आकलन रिपोर्ट	5
10	रिपोर्टिंग एवं अनुपालन	6
11	प्रकटीकरण	6
12	शासन एवं निरीक्षण	6
13	हितधारक सहभागिता	6-7
14	समीक्षा एवं संवर्द्धन	7
15	निष्कर्ष	7
	भाग बी - हरित जमा ऋण ढांचा	
16	ढांचा (फ्रेमवर्क की संरचना)	8
17	हरित जमा ऋण ढांचे के लिए शासन संरचना	8
18	भूमिकायें और उत्तरदायित्व	8-9
19	ढांचा(फ्रेमवर्क) का दायरा	10
20	हरित निधियों का स्रोत	10
21	हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए प्राप्त हरित राशि का उपयोग	10
	21.1 पात्रता मानदंड और पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं और अपवर्जन की सूची	10-11
	21.2 योग्य हरित गतिविधियाँ/परियोजनाएँ	11-12
	21.3 आय के परिनियोजन के लिए समय-सीमा	12
	21.4 हरित परियोजनाओं का चयन	12
	21.5 हरित परियोजनाओं का मूल्यांकन	12
	21.6 हरित परियोजनाओं का वित्तपोषण/निवेश	12
	21.7 हरित वित्त का मूल्य निर्धारण	13
22	लक्ष्य एवं निगरानी	13
23	रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण	13-14
24	बाहरी सत्यापन/आश्वासन	14
25	प्रभाव आकलन	14
	परिशिष्ट-1	15
	परिशिष्ट-2	16
	परिशिष्ट – 3	17

Internal

हरित जमा नीति एवं ऋण देने की प्रक्रिया

भाग - ए (हरित जमा नीति)

1. प्रस्तावना

केनरा बैंक की स्थापना वर्ष 1906 में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले, जिसे 'भारतीय बैंकिंग के जनमस्थली' के रूप में जाना जाता है, में हुई थी। यह भारत में सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जिसकी उपस्थिति 117 वर्षों से अधिक है, जहां 30,000 से अधिक की बैंकिंग पहुँच हैं।

केनरा बैंक, स्थिरता की दिशा में अपनी यात्रा में स्थायी प्रथाओं को अपना रहा है। बैंक ने ईएसजी को उभरते हुए अवसरों के क्षेत्र के रूप में पहचाना है और उसके लिए, ईएसजी नीति - सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क लेकर आया है। बैंक ने एक ईएसजी वक्तव्य भी जारी किया है जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप सुस्थिरता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धताओं और कार्यों का सारांश है।

बैंक कम उत्सर्जन और पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों को प्रोत्साहित करके और ऐसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करके एक स्थायी दुनिया बनाने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, यह हरित जमा ऋण ढांचा नवीकरणीय और हरित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए पथ प्रदर्शक होगा।

2. उद्देश्य

हरित जमा नीति का उद्देश्य जमाकर्ताओं को हरित परियोजनाओं और गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करके पर्यावरण अनुकूल पहल को बढ़ावा देना है जो सतत विकास में योगदान करते हैं। नीति का उद्देश्य जमा राशि एकत्र करना और आय का उपयोग पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और अन्य हरित पहलों को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं और गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए करना है।

यह नीति नियामक दिशानिर्देशों, उद्योग मानकों और बाजार की गतिशीलता के अनुरूप ईएसजी समिति के माध्यम से निदेशक मंडल से अनुमोदन के साथ वार्षिक समीक्षा और नियमित अद्यतन के अधीन है। इसके अलावा, बोर्ड से मंजूरी मिलने पर नीति को बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

3. हरित जमा खाते के लिए नीतिगत ढांचा

ए) हरित जमा (ग्रीन डिपॉजिट) व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, संस्थानों और ट्रस्टों, एचयूएफ, धर्मार्थ संगठनों और सरकारी एजेंसियों सहित अन्य संस्थाओं से स्वीकार किए जा सकते हैं।

बी) केनरा बैंक विशेष हरित जमा खातों की पेशकश करेगा जो हरित पहल के लिए नामित हैं। ये खाते एक निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा या आवर्ती जमा के रूप में हो सकते हैं। इस योजना के तहत जमा राशि खोलने की पुष्टि करने वाली एक घोषणा जमा खाता खोलने से पहले जमाकर्ता से प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाएगा और इस जमा खाता खोलने पर जमाकर्ता को एक प्रशंसा पत्र/प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

Internal

सी) आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार जमा को संचयी या गैर-संचयी जमा के रूप में केवल भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित किया जा सकता है।

डी) हरित जमा को आगे "हरित वित्त" में वितपोषित किया जाएगा, जिसका अर्थ है हरित जमा ऋण ढांचा दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं (पैरा 21.2 में निर्धारित) को पूरा करने वाली गतिविधियों/परियोजनाओं में ऋण देना और/या निवेश करना, जो जलवायु अनुकूलन और लचीलापन, और जैव विविधता प्रबंधन और प्रकृति-आधारित समाधान सहित अन्य जलवायु-संबंधी या पर्यावरणीय उद्देश्य जोखिम शमन में योगदान देता है।

ई) परिपक्वता पर, जमाकर्ता के विकल्प पर हरित जमा का नवीनीकरण या निकासी की जाएगी। नवीकरण के मामले में ग्रीन प्रोजेक्ट में राशि को फिर से निवेश करने के बारे में घोषणा पत्र में एक खंड शामिल किया जाएगा ।

एफ) उत्पाद की विशेषताएं जैसे न्यूनतम राशि, अवधि, ब्याज दर, भौतिक/डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करना और उत्पाद के अन्य नियम और शर्तें एसएंडपी समिति और सीएएनपी समिति की सिफारिशों के अनुसार आरएमसीबी द्वारा अनुमोदित की जाएंगी।

4. योग्य हरित परियोजनाएँ

केनरा बैंक हरित जमा के माध्यम से जुटाई गई आय को बैंक के हरित जमा ऋण ढांचा में पैरा 21.2 के तहत उल्लिखित पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के अनुसार हरित गतिविधियों/परियोजनाओं की सूची में आवंटित करेगा, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैसें, जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का मूल्यांकन, सुधार करना संसाधन उपयोग में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करना, कम करना है।

5. जमा एकत्रित करना

ए. केनरा बैंक विभिन्न विपणन और प्रचार अभियानों के माध्यम से हरित जमा खातों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगा।

बी. केनरा बैंक समय-समय पर निर्धारित आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश करके अपने ग्राहकों को ग्रीन डिपॉजिट खातों में धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

सी. केनरा बैंक व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स, संस्थानों और अन्य संस्थाओं से हरित जमा एकत्र करने के लिए अपनी शाखाओं के व्यापक नेटवर्क और डिजिटल बैंकिंग चैनलों का लाभ उठाएगा ।

डी. बैंक हरित जमा और हरित जमा वित्त पर जागरूकता अभियान की व्यवस्था करेगा जिसके माध्यम से ग्राहकों का झुकाव सुस्थिर आदतों की ओर होगा ।

6. प्राप्त राशि का प्रयोग

ए. ग्रीनवॉशिंग की घटनाओं से बचने के लिए, केनरा बैंक ग्रीन डिपॉजिट खातों में जमा धनराशि का उपयोग विशेष रूप से बैंक के ग्रीन डिपॉजिट लेंडिंग फ्रेमवर्क में पैरा 21.2 के तहत उल्लिखित पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के अनुसार वित्तपोषण के लिए करेगा।

Internal

बी. हरित जमा वित्तपोषण के ऐसे तरीकों का कोई भी अपवर्जन बैंक के हरित जमा ऋण ढांचा में पैरा 21.2 **के तहत उल्लिखित विवरण के अनुसार होगा ।**

सी. बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करेगा कि धन का उपयोग पूर्वनिर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।

7. मूल्यांकन एवं चयन की प्रक्रिया

हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया हरित जमा ऋण ढांचा के तहत पैरा 21.2 में सूचीबद्ध हरित गतिविधियों/परियोजनाओं में से परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता, तकनीकी व्यवहार्यता और पर्यावरण-अनुकूल प्रकृति पर आधारित होगी। साख नीति, साख जोखिम प्रबंधन नीति और संबंधित ऋण वर्टिकल की अन्य उधार नीतियों का पालन करना। नियामक और बाजार मानकों के अपडेट के आधार पर ऐसी हरित परियोजनाओं को जोड़ने/हटाने को भी संशोधित किया जा सकता है ।

8. तृतीय पक्ष सत्यापन/आश्वासन और प्रभाव आकलन

एक वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का आवंटन एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन के अधीन होगा जो वार्षिक आधार पर किया जाएगा। तृतीय-पक्ष मूल्यांकन बैंक को धन के अंतिम उपयोग के संबंध में अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा, जिसके लिए अन्य ऋणों के मामले में आंतरिक जांच और शेष की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। निर्धारित ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधारकर्ताओं द्वारा संबंधित नियमों और शर्तों को अतिरिक्त रूप से पूरा किया जाना चाहिए और धन के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करते समय और भी जांच बिंदु होंगे।

तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन रिपोर्ट में, कम से कम, निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाएगा:

I. प्राप्त आय का उपयोग बैंक के हरित जमा ऋण ढांचा के पैरा 21.2 में दर्शाए गए योग्य हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के अनुसार किया जाएगा। बैंक ग्रीनवॉशिंग की घटनाओं से सुरक्षा के लिए जुटाई गई जमा राशि के आवंटित धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करेगा। .
II. नीतियां और आंतरिक नियंत्रण, जिनमें अन्य बातों के अलावा, परियोजना मूल्यांकन और चयन, आय का प्रबंधन और उधारकर्ता द्वारा बैंक को प्रदान की गई स्थिरता जानकारी का सत्यापन और रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण शामिल हैं।

9. प्रभाव आकलन रिपोर्ट

केनरा बैंक, बाहरी फर्मों की सहायता से, हर साल एक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के माध्यम से हरित वित्त गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए उधार दिए गए या निवेश किए गए धन से जुड़े प्रभाव का आकलन करेगा। प्रभाव संकेतकों की एक उदाहरणात्मक सूची इस नीति के अनुबंध 1 में दी गई है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रभाव मूल्यांकन एक उभरता हुआ क्षेत्र है, इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा। केनरा बैंक को वित्तीय वर्ष 2024-25 से अनिवार्य रूप से प्रभाव आकलन करना होगा। बैंक तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन और प्रभाव आकलन रिपोर्ट की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर रखेगा

Internal

10. रिपोर्टिंग और अनुपालन

ए. केनरा बैंक अपने हरित जमा संग्रहण, निधि उपयोग और उसके प्रभाव के मूल्यांकन पर पारदर्शी और व्यापक रिपोर्टिंग बनाए रखेगा।

बी. केनरा बैंक हरित जमा और हरित वित्त से संबंधित सभी लागू नियामक और वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

सी. केनरा बैंक निर्धारित समयसीमा और प्रारूप के अनुसार आरबीआई और अन्य संबंधित अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

डी. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर बैंक द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष एक समीक्षा रिपोर्ट रखी जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हरित जमा के तहत एकत्र के गई राशि
- परियोजनाओं के संक्षिप्त विवरण के साथ हरित गतिविधियों/परियोजनाओं की सूची जिनके लिए आय आवंटित की गई है।
- पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि
- तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन रिपोर्ट की एक प्रति और
- प्रभाव आकलन रिपोर्ट

ई. हरित जमा और हरित जमा वित्त के पहलुओं को कवर करने वाले हितधारक विभाग और सक्षम प्राधिकारियों का उल्लेख बैंक के हरित जमा ऋण ढांचा तहत पैरा 23 में किया गया है।

11. प्रकटीकरण

केनरा बैंक इस नीति के अनुबंध-2 में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार हरित जमा निधि के उपयोग के संबंध में पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी पर अपनी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में उचित खुलासा करेगा।

12. शासन और निगरानी

ए. हरित जमा एकत्रित करने और उपयोग पर निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कार्य समूह और कार्य समिति में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

बी. आरएमसीबी और निदेशक मंडल सामरिक निर्देश प्रदान करेंगे और हरित जमा नीति और ऋण ढांचे के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।

13. हितधारकों की सहभागिता

ए. केनरा बैंक अपने हरित जमा नीतिगत ढांचे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, नियामकों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ेगा।

बी. बैंक अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को हरित पहल में भाग लेने और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

Internal

सी. पर्यावरणीय स्थिरता और हरित वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए बैंक सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और उद्योग निकायों सहित बाहरी हितधारकों के साथ सहयोग करेगा।

14. समीक्षा और संवर्धन

ए. केनरा बैंक समय-समय पर अपनी हरित जमा नीति (भाग-ए) की प्रभावशीलता की समीक्षा और मूल्यांकन करेगा और बदलती नियामक आवश्यकताओं, बाजार की स्थितियों और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर सालाना कम से कम एक बार आवश्यक सुधार करेगा।

बी. बैंक उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए हरित जमा और हरित वित्त से संबंधित अपनी प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नियंत्रणों में लगातार सुधार करेगा।

15. निष्कर्ष

अंत में, केनरा बैंक की हरित जमा नीति और ऋण ढांचा, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें हरित परियोजनाओं को वित्त पोषित करने, उचित परिश्रम और पारदर्शिता पर जोर देने, जागरूकता पैदा करने और नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की पहल शामिल है। हरित वित्तपोषण और सतत विकास की दिशा में केनरा बैंक के सक्रिय प्रयास पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और सामाजिक रूप से जागरूक वित्तीय संस्थान होने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

बैंक की हरित जमा ऋण रूपरेखा को भाग-बी के तहत नीचे दिए गए दस्तावेज़ में शामिल किया गया है

Internal

भाग - बी (हरित जमा ऋण ढांचा)

16. ढाँचे की संरचना

बैंक ने व्यापक सुस्थिरता रणनीति के हिस्से के रूप में हरित जमा ऋण ढांचा की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य अपने ग्राहकों को वित्तपोषण तक पहुंच प्रदान करना है जो उन्हें पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भविष्य के लिए आवश्यक संक्रमण को आगे बढ़ाने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ईएसजी के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता और विश्वास इस ढाँचे के साथ व्यवहार में लाया गया है ।
इस ढांचे के संदर्भ में स्थापित हरित वित को नीचे दिए गए इस दस्तावेज़ में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए निवेश के रूप में पेश किया जाएगा, जो जलवायु जोखिम शमन, जलवायु अनुकूलन और लचीलापन, और अन्य जलवायु-संबंधी या पर्यावरणीय उद्देश्यों में योगदान करते हैं। इन निर्धारित गतिविधियों/परियोजनाओं का वित्तपोषण बैंक के हरित जमा उत्पाद से प्राप्त आय के माध्यम से किया जाएगा।

हरित जमा ऋण ढांचा 11 अप्रैल, 2023 के परिपत्र संख्या डीओआरएसएफ़जी आरईसी 0/30.01.021/2023-24 के तहत आरबीआई के हरित जमा ढांचे के अनुरूप है और बैंक की ईएसजी नीति द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जहां भी उन पहलुओं के लिए लागू, जो इस ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

इस ढांचे में संशोधन या परिवर्तन, यदि कोई हो, की वार्षिक समीक्षा की जाएगी और ईएसजी समिति और आरएमसीबी के माध्यम से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो इस संबंध में अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी होगा।

17. हरित जमा ऋण ढांचे के लिए शासन संरचना

18. भूमिका और जिम्मेदारियां:

18.1 निदेशक मंडल की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ *

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रीन एवेन्यू (जमा और वित्तपोषण उत्पाद) से संबंधित विनियामक और भारत सरकार के दिशानिर्देश समय-सीमा निर्धारित होने पर बैंक में लागू किए जाते हैं।

Internal

- हरित जमा और हरित जमा वित्त जैसे रास्ते तलाशकर स्थिरता की राह में भारत सरकार द्वारा घोषित किए जाने पर मील के पत्थर हासिल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना।

- बैंक-स्तरीय ईएसजी नीतियों, ग्रीन डिपॉजिट नीतियों, ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क रणनीतियों, पहलों, प्रकटीकरणों और हितधारकों की भागीदारी की मंजूरी और ईएसजी समिति को विशिष्ट ईएसजी/जलवायु जोखिम और ग्रीन डिपॉजिट वित्तपोषण से संबंधित शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल।
- प्रबंधन जानकारी के आधार पर हरित जमा ऋण ढांचा के तहत हुई प्रगति की निगरानी/समीक्षा करना, साथ ही जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित प्रमुख नीतिगत पहल और विकास को अद्यतन करना।

18.2 जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ (हरित जमा वित्तपोषण की दिशा में)*

- हरित मार्गों (हरित जमा उत्पाद और वित्तपोषण) से उत्पन्न होने वाले जोखिमों और अवसरों की निगरानी करना और ऐसे मार्गों में वित्तपोषण के बाद बैंक द्वारा किए गए वास्तविक और संभावित प्रभाव का आकलन करना।

- जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण पर प्रभावी निगरानी रखना और यह सुनिश्चित करना कि इन ग्रीन डिपॉजिट और ग्रीन फाइनेंसिंग उत्पादों से उत्पन्न वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त आंतरिक / बाहरी विशेषज्ञता उपलब्ध है।
- नीतिगत ढांचे के माध्यम से हरित-आधारित उत्पादों (जमा और वित्तपोषण) के प्रभाव आकलन की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसी नीतियां/ढांचे बैंक के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

• हरित मार्गों से संबंधित नीति, रणनीति, उद्देश्य-निर्धारण और प्रदर्शन निगरानी का मार्गदर्शन करना।

• मजबूत आश्वासन के लिए हरित जमा और उसके वित्तपोषण से संबंधित बाहरी प्रकटीकरण, नियंत्रण और उपायों का मार्गदर्शन करना।

18.3 ईएसजी समिति और कार्य समूह की भूमिकाएं और जिम्मेदारी*

• समिति नियामक/भारत सरकार के दिशानिर्देशों और आगे के परिवर्तनों के आधार पर ग्रीन डिपॉजिट नीति और ग्रीन डिपॉजिट लेंडिंग फ्रेमवर्क को विकसित करने और तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी।

• ग्रीन डिपॉजिट नीति और इसके वित्तपोषण ढांचे में बताई गई ग्रीन डिपॉजिट वित्तपोषण गतिविधियों से जुड़े प्रमुख मापदंडों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और अनुमोदित करना।

• समिति बैंक की ग्रीन डिपॉजिट नीति और ऋण ढांचे और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को तैयार करने में प्रत्येक हितधारक विंग की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पहचान करेगी।

• समिति बैंक में ग्रीन डिपॉजिट नीति और ग्रीन डिपॉजिट ऋण ढांचे के समय पर कार्यान्वयन की भी समीक्षा करेगी।

• समिति नवीन विचारों के साथ काम करेगी और हरित आधारित नीति ढांचे को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संभावित समाधानों पर विस्तार से विचार-विमर्श करेगी।

• अवसरों की पहचान करना, हरित-आधारित उत्पादों के क्षेत्रों में सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और हरित जमा वित्तपोषण गतिविधियों के प्रभाव आकलन का विश्लेषण करना।

• ग्राहकों के बीच हरित जमा और इसकी वित्तपोषण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रणनीति और व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना ताकि बैंक के स्थायी लक्ष्यों को स्थायी विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित किया जा सके।

* इस नीति के तहत परिभाषित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां केवल सुस्थिरता और हरित उत्पाद पहलुओं से संबंधित हैं। मौजूदा परिचालन पहलुओं को जारी रखा जाएगा।

Internal

19. ढांचे का दायरा

यह ढांचा बैंक के घरेलू परिचालन पर लागू होगा।

सहयोगियों, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को नीति ढांचे को तैयार करने के लिए प्रचलित लागू नियामक दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और संबंधित बोर्डों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

20. हरित निधियों का स्रोत

हरित जमा वित हरित जमा के माध्यम से प्राप्त धन पर निर्भर होगी, जिसे हरित जमा नीति में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा स्वीकार किया जाएगा। हरित जमा नीति और ऋण ढांचे के लिए नोडल विभाग की जिम्मेदारियां निम्नलिखित होंगी:

1) सामरिक एवं संसाधन विभाग(एस एंड आर विभाग) - हरित जमा नीति के लिए नोडल विभाग

ए) हरित जमा उत्पाद की डिजाइनिंग
बी) बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न समितियों से उत्पाद के लिए अनुमोदन लेना
सी) ग्रीन डिपॉजिट के लिए एएलसीओ से मूल्य निर्धारण की मंजूरी।
डी) उपयुक्त एमआईएस सहित सिस्टम में उत्पाद का कार्यान्वयन।
ई) जुटाए गए संसाधनों और आवंटन विवरण पर मास्टर डेटा का रखरखाव।
एफ) नीति की वार्षिक समीक्षा, यदि कोई हो तो लक्ष्य निर्धारित करना, ईएसजी अनुभाग, आरएम विंग के साथ समन्वय करके हरित जमा पर नीति में संशोधन।

2) **वृहत कॉर्पोरेट साख विभाग (एलसीसीडबल्यू) – हरित ऋण ढांचा के लिए नोडल विभाग**

ए) हरित गतिविधियों/परियोजनाओं की पहचान करना, धन आवंटित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना।
बी) ऋण देने के लिए लागू प्रसार का निर्णय लेना।
सी) एस एंड आर विभाग के साथ समन्वय करके हरित निधि के स्रोतों और उपयोग की निगरानी और रिपोर्टिंग

21. हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए हरित आय का उपयोग/परिनियोजन

हरित जमा दस्तावेज से प्राप्त शुद्ध आय के अनुरूप राशि का उपयोग बैंक के हरित आस्ति पोर्टफोलियो को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा। पोर्टफोलियो में निगमों, परिसंपत्तियों या परियोजनाओं को दिए गए ऋण और निवेश दोनों शामिल होंगे जो एक स्वच्छ, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करते हैं और इस ढांचे की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

हरित जमा से प्राप्त आय का उपयोग रूपरेखा के अनुसार पूरी तरह से हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। आवंटित आय को अधिकतम एक वर्ष की मूल अवधि (टी-बिल) तक तरल उपकरणों में निवेशित रखा जाएगा।

बैंक को मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, हरित जमा के माध्यम से प्राप्त धन से अधिक वित्त पोषण करने का विवेकाधिकार होगा।

21.1 **पात्रता मानदंड और पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं और अपवर्जन की सूची**:

इसके अलावा, आगामी बाजार विकास के साथ और भारतीय हरित वर्गीकरण की स्थापना के बाद, हरित जमा से प्राप्त आय का परिनियोजन उसी पर आधारित होगा। बैंक हरित जमा के माध्यम से एकत्रित की गई आय को हरित गतिविधियों/परियोजनाओं की निम्नलिखित सूची में आवंटित करेगा जो संसाधन उपयोग में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करते

Internal

हैं, कार्बन उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैसों को कम करते हैं, जलवायु लचीलापन और/या अनुकूलन और मूल्य को बढ़ावा देते हैं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता में सुधार करते हैं।

21.2 योग्य हरित गतिविधियाँ/परियोजनाएँ:

सेक्टर	विवरण
नवीकरणीय ऊर्जा	• सौर/पवन/बायोमास/जलविद्युत ऊर्जा परियोजनाएं जो ऊर्जा उत्पादन और भंडारण को एकीकृत करती हैं • नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना
ऊर्जा दक्षता	• • इमारतों और संपत्तियों में ऊर्जा-कुशल और ऊर्जा-बचत प्रणालियों और प्रतिष्ठानों का डिजाइन और निर्माण • • प्रकाश व्यवस्था में सुधार का समर्थन करना (उदाहरण के लिए एलईडी के साथ प्रतिस्थापन) • • नए निम्न-कार्बन भवनों के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा भवनों में ऊर्जा-दक्षता वाले रेट्रोफिट का समर्थन करना • • बिजली ग्रिड घाटे को कम करने वाली परियोजनाएं
स्वच्छ परिवहन	• •परिवहन के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं • • चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे स्वच्छ ईंधन को अपनाना
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	• परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक लचीला बनाना है।
सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन	• जल कुशल सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देना • परिवहन, उपचार और निपटान प्रणालियों सहित अपशिष्ट जल के बुनियादी ढांचे की स्थापना/उन्नयन • जल संसाधन संरक्षण • बाढ़ सुरक्षा प्रणालियाँ
प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण	• • वायु उत्सर्जन में कमी, ग्रीनहाउस गैस नियंत्रण, मिट्टी का सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट की रोकथाम, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, अपशिष्ट में कमी और ऊर्जा/उत्सर्जन-कुशल अपशिष्ट-से-ऊर्जा को लक्षित करने वाली परियोजनाएं।
हरित इमारतें	• • इमारतों से संबंधित परियोजनाएं जो पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों या प्रमाणपत्रों को पूरा करती हैं
जीवित प्राकृतिक संसाधन और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	• कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और जलीय कृषि का पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रबंधन • वनरोपण/पुनर्वनरोपण सहित सतत वानिकी प्रबंधन • प्रमाणित जैविक खेती को समर्थन
<u>अपवर्जन</u> **• सुधार और उन्नयन सहित जीवाश्म ईंधन के नए या मौजूदा निष्कर्षण, उत्पादन और वितरण से जुड़ी परियोजनाएं; या जहां मुख्य ऊर्जा स्रोत जीवाश्म-ईंधन आधारित है।** **• परमाणु ऊर्जा उत्पादन** **• प्रत्यक्ष अपशिष्ट भस्मीकरण.**	

Internal

- **शराब, हथियार, तम्बाकू, गेमिंग, या ताड़ के तेल उद्योग।**
- **संरक्षित क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले फीडस्टॉक* का उपयोग करके बायोमास से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं।**
- **लैंडफिल परियोजनाएँ।**
- 25 **मेगावाट से बड़े जलविद्युत संयंत्र।**

* फीडस्टॉक में मुख्य रूप से शामिल होंगे: सीवेज, खाद, अपशिष्ट जल, खोई, बायोमास, लकड़ी के गोले, आदि।

21.3 आय के परिनियोजन के लिए समयसीमा:

वित्तीय वर्ष के दौरान हरित जमा के माध्यम से स्वीकार की गई आय (पहले ग्रीन डिपॉजिट उत्पाद लॉन्च की तारीख से) का उपयोग पैरा 21.2 के तहत सूचीबद्ध हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के वित्तपोषण/निवेश के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, इन आय का अस्थायी आवंटन जो पात्र गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए लंबित है, केवल एक वर्ष के अधिकतम मूल कार्यकाल तक तरल लिखत में होगा।

21.4 हरित परियोजनाओं का चयन

हरित गतिविधियों/परियोजनाओं का चयन उपरोक्त पैरा 21.2 में सूचीबद्ध हरित गतिविधियों/परियोजनाओं में से आर्थिक रूप से व्यवहार्य, तकनीकी रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण-अनुकूल परियोजना की व्यवहार्यता और साख नीति का पालन करने वाली चल रही प्रथाओं के आधार पर किया जाएगा। ऋण जोखिम प्रबंधन नीति और बैंक की अन्य ऋण नीतियां। नियामक, सरकार और बाजार मानकों के अपडेट के आधार पर ऐसी हरित परियोजनाओं को जोड़ने/हटाने को भी संशोधित किया जा सकता है।

21.5 **हरित परियोजनाओं का मूल्यांकन**

हरित परियोजनाओं का मूल्यांकन चल रही प्रथा (अन्य परियोजनाओं की तरह) के अनुसार, ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, शक्तियों के प्रत्यायोजन और बैंक की अन्य ऋण नीतियों का विधिवत पालन करते हुए किया जाएगा ।

हरित जमा ऋण ढांचा के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों को संसाधित करते समय, प्रक्रिया नोट में बैंक से ली गई हरित वित्त सुविधाओं के माध्यम से कॉरपोरेट्स की स्थायी प्रथाओं और उसके प्रभावों के औचित्य को ध्यान रखने के लिए वे सारे कदम उठाए जाने चाहिए।

21.6 **हरित परियोजनाओं का वित्तपोषण/निवेश**

ऋण विभाग/ट्रेजरी विभाग द्वारा आवंटित धनराशि का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसी पात्र परियोजनाओं में वित्तपोषण/निवेश के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है। मंजूरी विभाग ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रवाह का एक डेटाबेस रखेगा।

उपयुक्त बीआई रिपोर्ट के माध्यम से एमआईएस के सृजन को सक्षम करने के लिए ऋण उत्पाद पर सीबीएस में ग्रीन/सस्टेनेबल फाइनेंस के रूप में अलग से एक फ्लैग/पहचानकर्ता अंकित होगा। आवश्यक परिवर्तन डीआईटी के तकनीकी संचालन/ बीए और आईएस वर्टिकल द्वारा किए जाने हैं।

Internal

21.7 हरित वित्त का मूल्य निर्धारण

ऋण का मूल्य निर्धारण मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। हरित जमा से अधिक दिए गए/निवेशित ऋणों का मूल्य निर्धारण प्रासंगिक नीतियों/दिशानिर्देशों का विधिवत पालन करते हुए अन्य परियोजनाओं के समान तरीके के आधार पर किया जाएगा।

आगे बढ़ते हुए, बैंक अपने सीआईआरएम मॉडल में ईएसजी और जलवायु जोखिम मापदंडों को शामिल करने के लिए नीति दिशानिर्देश लाने और हरित वित्तपोषण परियोजनाओं/गतिविधियों पर आकर्षक ऋण दरें प्रदान करने पर विचार कर सकता है।.

22. लक्ष्य एवं निगरानी

सामरिक एवं संसाधन विभाग :

- हरित जमा के माध्यम से एकत्र की गई धनराशि को रखने के लिए एक विशेष पूल्ड अकाउंट/जीएल बनाया जाएगा और हरित जमा सोर्सिंग रणनीति के आधार पर लक्ष्य तय किया जाएगा।

- हरित जमा की सोर्सिंग और आवंटन दोनों के लिए डेटाबेस को निरंतर आधार पर बनाए रखा जाएगा और सिस्टम में आवश्यक एमआईएस रिपोर्ट विकसित की जाएगी।

- गतिविधि/परियोजना-वार लक्ष्य संबंधित ऋण विभाग को सौंपे जा सकते हैं और स्रोतों और उपयोगों की बकाया स्थिति को नियमित आधार पर अद्यतन किया जाएगा।.

23. रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण

हितधारक विभाग सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित पहलुओं और नीचे विस्तृत आवृत्ति में समीक्षा रिपोर्ट पेश करेंगे:

	रिपोर्टिंग की प्रकृति	आवृत्ति	किसको प्रस्तुत	संबंधित विभाग
1	हरित जमा के तहत जुटाई गई राशि और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों, यदि कोई हो, के विरुद्ध पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को आवंटित की जाएगी।	अर्धवार्षिक	ईएसजी समिति	सामरिक एवं संसाधन विभाग
2	हरित गतिविधियाँ/परियोजनाएँ जिनका वित्त पोषण/निवेश परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण के साथ आवंटित हरित निधि से किया जाता है।	अर्धवार्षिक	ईएसजी समिति	एलसीसीडब्ल्यू को अन्य ऋण विभाग के साथ समन्वय करने और एक समेकित नोट रखने के लिए नोडल विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है।
3	बाहरी एजेंसी द्वारा तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन रिपोर्ट।	प्रतिवर्ष	ईएसजी समिति, आरएमसीबी और बोर्ड	ईएसजी अनुभाग
4	प्रभाव आकलन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वैच्छिक	प्रतिवर्ष	ईएसजी समिति, आरएमसीबी और बोर्ड	ईएसजी अनुभाग

Internal

	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनिवार्य (बाह्य)			
5	वार्षिक रिपोर्ट में प्रासंगिक प्रकटीकरण	प्रतिवर्ष	ईएसजी समिति, बोर्ड और सेबी	सचिवीय विभाग, अनुपालन विभाग

24. बाहरी सत्यापन/आश्वासन

एक वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा हरित जमा के माध्यम से एकत्रित की गई धनराशि का आवंटन एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन के अधीन होगा जो वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

बैंक की तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन रिपोर्ट, कम से कम, निम्नलिखित पहलुओं को कवर करेगी:

• आय का उपयोग उपरोक्त पैरा 21.2 में दर्शाई गई पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के अनुसार होना चाहिए।

• नीतियां और आंतरिक नियंत्रण, जिसमें अन्य बातों के अलावा, परियोजना मूल्यांकन और चयन, आय का प्रबंधन, और उधारकर्ता द्वारा बैंक को प्रदान की गई स्थिरता जानकारी का सत्यापन और रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण शामिल हैं।

बैंक किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से हरित जमा वित्तपोषण के लिए उपयोग की गई आय और धन के उपयोग पर वार्षिक आधार पर स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन करेगा। ईएसजी अनुभाग, आरएम विभाग इस मामले पर सामरिक एवं संसाधन विभाग, एलसीसीडब्ल्यू और अन्य संबंधित कार्यात्मक विभाग के साथ समन्वय करेगा।

बैंक तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन की रिपोर्ट वेबसाइट पर रखेगा, जिसे सामरिक एवं संसाधन विभाग(नोडल विभाग) द्वारा संकलित किया जाएगा।

उपरोक्त के अलावा, निरीक्षण विभाग(आंतरिक रूप से), तीसरे पक्ष के सत्यापन/आश्वासन से पहले हरित जमा नीति और ऋण ढांचे पर किए जाने वाले अपने वार्षिक निरीक्षण में निम्न सूचीबद्ध निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करेगा।

• आय का उपयोग उपरोक्त पैरा 21.2 में दर्शाई गई पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के अनुसार होना चाहिए।
• नीतियां और आंतरिक नियंत्रण, जिसमें अन्य बातों के अलावा, परियोजना मूल्यांकन और चयन, आय का प्रबंधन, और उधारकर्ता द्वारा बैंक को प्रदान की गई स्थिरता जानकारी का सत्यापन और रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण शामिल हैं।
• सिस्टम के माध्यम से एमआईएस रिपोर्ट तैयार की जाती है और स्रोतों और उपयोगों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है।
• लक्ष्य के विरुद्ध संचयी बकाया, यदि कोई हो आदि ।

25. प्रभाव आकलन

बैंक वार्षिक रूप से एक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के माध्यम से हरित वित्त गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए उधार दिए गए या निवेश किए गए धन से जुड़े प्रभाव का आकलन करेगा, जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा और वित्त वर्ष 2024-25 से अनिवार्य हो जाएगा। बैंक प्रभाव आकलन रिपोर्ट वेबसाइट पर डालेगा।

इस नीति के अनुबंध-1 में प्रभाव संकेतकों की एक उदाहरणात्मक सूची दी गई है।

Internal

****

अनुबंध-1

योग्य परियोजना श्रेणी	सांकेतिक प्रभाव सूचक
नवीकरणीय ऊर्जा	• कुल नवीकरणीय क्षमता (मेगावाट में) • प्रति वर्ष उत्पादित ऊर्जा (MWh) • प्रति वर्ष जीएचजी उत्सर्जन से बचा गया (टन CO2 समकक्ष, tCO2e में मापा गया)
कचरे का प्रबंधन	• प्रति वर्ष लैंडफिल से निकाला गया कचरा (टन)
स्वच्छ परिवहन	• प्रति वर्ष जीएचजी उत्सर्जन से बचा गया (tCO2e) • नया स्वच्छ परिवहन बुनियादी ढांचा निर्मित (किमी) • उत्पादित इलेक्ट्रिक या कम उत्सर्जन वाले वाहनों की संख्या
ऊर्जा दक्षता	• • प्रति वर्ष ऊर्जा बचत (एमडब्ल्यूएच) • • प्रति वर्ष जीएचजी उत्सर्जन से बचा गया (tCO2e)
वनरोपण/पुनर्वनरोपण	• जीएचजी उत्सर्जन में कमी/कार्बन पृथक्करण हासिल किया गया (tCO2e में मापा गया)

Internal

अनुबंध -2

Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Financial Year	Previous Financial Year	Cumulative*
Total green deposits raised (A)			
Use of green deposit funds**			
(1) Renewable Energy			
(2) Energy Efficiency			
(3) Clean Transportation			
(4) Climate Change Adaptation			
(5) Sustainable Water and Waste Management			
(6) Pollution Prevention and Control			
(7) Green Buildings			
(8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use			
(9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation			
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)			
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)			
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects			

* This shall contain the cumulative amount since the RE started offering green deposits. For example, if a bank has commenced raising green deposits from June 1, 2023, then the annual financial statement for the period ending March 31, 2025 would contain particulars of deposits raised and allocated from June 1, 2023 till March 31, 2025.

**Under each category, REs may provide sub-categories based on the funds allocated to each sub-sector. For example, REs may provide sub-categories like solar energy, wind energy, etc. under "Renewable Energy".

Internal

अनुबंध-3

शब्दकोष	
बीए एवं आईएस वर्टिकल	व्यवसाय विश्लेषिकी एवं सूचना प्रणाली कार्यक्षेत्र
बीआई रिपोर्ट	बिज़नेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट
बीआरएसआर	व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट
सीआईआरएम	केनरा आंतरिक रेटिंग मॉडल
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान
सीएएनपी समिति	नये उत्पादों के अनुमोदन हेतु समिति
डीआईटी वर्टिकल	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कार्यक्षेत्र
ईएसजी नीति	बैंक की पर्यावरण, सामाजिक और शासन नीति (बोर्ड द्वारा अनुमोदित)
जीएल	सामान्य बहीखाता
हरित गतिविधियाँ/परियोजनाएँ	इस ढांचे के पैराग्राफ 21.2 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली गतिविधियाँ/परियोजनाएँ।
हरित जमा	एक ब्याज-युक्त जमा राशि, जो एक निश्चित अवधि के लिए आरई द्वारा प्राप्त की जाती है और जिसकी आय हरित वित्त के लिए आवंटित की जाती है।
ग्रीनवाशिंग	उत्पादों/सेवाओं को हरित जमा के रूप में विपणन करने की प्रथा, जब वास्तव में वे हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के रूप में परिभाषित की जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं ।
एलसीसीडब्ल्यू	वृहत कॉर्पोरेट साख विभाग
एमआईएस	बैंक की प्रबंधन सूचना प्रणाली
आरएमसीबी	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
एस एंड पी समिति	प्रणाली और प्रक्रिया समिति

Internal

KPMG Assurance and Consulting Services LLP
Building No. 10, 4th Floor, Tower-C
DLF Cyber City, Phase - II
Gurugram - 122 002 (India)

Telephone: +91 124 336 9000
Fax: +91 124 336 9001
Internet: www.kpmg.com/in

Limited Assurance Report

Independent Limited Assurance Report on Green Deposit Financing Framework

We ('KPMG Assurance and Consulting Services LLP', or 'KPMG') have been engaged by Canara Bank ('the Company') for the purpose of providing an independent limited assurance on the select non-financial information in the Green Deposit Policy & Lending Framework (Part B) as described in the 'scope, boundary, and limitations' below.

Our responsibility is to provide an independent limited assurance conclusion that based on our work performed and evidence obtained, nothing has come to our attention that causes us to believe that Green Deposit Policy & Lending Framework (Part B) ("the Framework") is not properly prepared, in all material respects, based on Framework for Acceptance of Green Deposits – as per Reserve Bank of India ("RBI") Notification dated on 11th April 2023 (as available on the RBI website[1]).

Company*'s Responsibilities*

The management at the company is responsible for *preparing* the Green Deposit Policy & Lending Framework that is free from material misstatement in accordance with the guidance laid down under the RBI Notification dated on 11th April 2023 as also other applicable requirements and for the information contained therein.

This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and presentation of the Green Deposit Policy & Lending Framework that is free from material misstatement, whether due to fraud or error. The company ensures that it complies with Framework for Acceptance of Green Deposits – as per RBI Notification dated on 11th April 2023 and other applicable regulations. It designs, implements and effectively operates controls or will do so to achieve the stated control objectives; selects and applies policies; makes judgments and estimates that are reasonable in the circumstances; and maintains adequate records in relation to the Framework for Acceptance of Green Deposits as per RBI Notification dated on 11th April 2023.

Company is also responsible for preventing and detecting fraud and for identifying and ensuring that the company complies with laws and regulations applicable to its activities. The company is responsible for ensuring company's staff involved with the preparation of the Green Deposit Policy & Lending Framework are properly trained, systems are properly updated and that any changes in procedures and reporting encompass all significant operational sites.

Our Responsibilities

Our responsibility is to examine the Framework prepared by the Company and to examine the Framework in line with Framework for Acceptance of Green Deposits as per RBI Notification dated on 11th April 2023 based on the discussions with the representatives and evidence obtained. We conducted our engagement in accordance with International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised), *Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information* issued by the International Auditing and Assurance Standards Board. That standard requires that we plan and perform our procedures to obtain a meaningful level of assurance about whether the Framework presented by the management complies with the Framework for Acceptance of Green Deposits in all

[1] Reserve Bank of India - Framework for acceptance of Green Deposits

KPMG Assurance and Consulting Services LLP, an Indian limited liability partnership and a member firm of KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee

KPMG (Registered) (a partnership firm with Registration No. BA-62445) converted into KPMG Assurance and Consulting Services LLP (a Limited Liability Partnership with LLP Registration No. AAT-0367), with effect from July 23, 2020

Registered Office:
2nd Floor, Block T2 (B Wing)
Lodha Excelus, Apollo Mills
Compound, N M Joshi Marg,
Mahalaxmi, Mumbai - 400 011

KPMG Assurance and Consulting Services LLP
Building No. 10, 4th Floor, Tower-C
DLF Cyber City, Phase - II
Gurugram - 122 002 (India)

Telephone: +91 124 336 9000
Fax: +91 124 336 9001
Internet: www.kpmg.com/in

material respects, as the basis for our limited assurance conclusion.

The firm applies International Standard on Quality Management 1, which requires the firm to design, implement and operate a system of quality management including policies or procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements. We have complied with the independence and other ethical requirements of the International Ethics Standards Board for Accountants' *International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)* (IESBA Code), which is founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior.

The procedures selected depend on our understanding of the Framework and other engagement circumstances, and our consideration of areas where material misstatements are likely to arise.

In obtaining an understanding of the Framework and other engagement circumstances, we have considered the process used to prepare the Framework in order to design assurance procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purposes of expressing a conclusion as to the effectiveness of the company's process or internal control over the preparation and presentation of the Framework.

The procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and are less in extent than for, a reasonable assurance engagement. Consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed.

As part of this engagement, we have not performed any procedures by way of audit, review or verification of the financial disclosures nor of the underlying records or other sources from which the financial statements and information was extracted.

Assurance Procedures

Our assurance process involves performing procedures to obtain evidence about the reliability of specified disclosures. The nature, timing and extent of procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the selected aspects of the Framework whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we have considered internal controls relevant to the preparation of the Framework to design assurance procedures that are appropriate in the circumstances.

These procedures include the following:

- Review of the Framework and Green Deposit Policy & Lending Framework in line with the Framework for Acceptance of Green Deposits – as per RBI Circular dated on 11th April 2023.
- Discussion with stakeholders for understanding the approach and practices at the Bank with respect to green deposits
- Understanding the procedures for allocation of funds raised through green deposits
- Understanding of the likely mechanism to monitor segregation of funds raised through green deposits
- Guardrails the bank will put in place to support sectoral identification for end use

Assurance of the Framework was carried out through discussions and consultations with the representatives of the bank. Appropriate documentary evidence was obtained from the relevant authority at the bank's corporate office to support our conclusions on the information reviewed.

KPMG Assurance and Consulting Services LLP, an Indian limited liability partnership and a member firm of KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee

KPMG (Registered) (a partnership firm with Registration No. BA-62445) converted into KPMG Assurance and Consulting Services LLP (a Limited Liability Partnership with LLP Registration No. AAT-0367), with effect from July 23, 2020

Registered Office:
2nd Floor, Block T2 (B Wing)
Lodha Excelus, Apollo Mills
Compound, N M Joshi Marg,
Mahalaxmi, Mumbai - 400 011

KPMG Assurance and Consulting Services LLP
Building No. 10, 4th Floor, Tower-C
DLF Cyber City, Phase - II
Gurugram - 122 002 (India)

Telephone: +91 124 336 9000
Fax: +91 124 336 9001
Internet: www.kpmg.com/in

Scope, Boundary, Characteristics and Limitations of Independent Limited Assurance of Green Deposit Policy & Lending Framework (Part B)

- The scope of assurance covers the select non-financial sustainability information limited to the Green Deposit Policy & Lending Framework

Limitations

The assurance scope excludes following:

- Data related to Company's financial performance.
- Data related to usage and allocation of Green Deposits.
- Data and information outside the defined Framework
- Data outside the operations mentioned in the assurance boundary above unless and otherwise specifically mentioned in this report.
- The Company's statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim to future intention provided by the Company and assertions related to Intellectual Property Rights and other competitive issues.
- Strategy and other related linkages expressed in the Framework.
- Mapping of the Report with regulatory / reporting / investment or other frameworks other than those mentioned in reporting criteria above.
- Aspects of the Framework other than those mentioned under the scope and boundary above.
- Review of legal compliances.

We will not, pursuant to this letter, perform any management function for you nor make any decision relating to the services provided by us in the terms of this letter. You are responsible for making management decisions, including accepting responsibility for the results of our services. Additionally, management of the Company is responsible for designating a management-level individual or individuals responsible for overseeing the services provided, evaluating the adequacy of the services provided, evaluating any findings or recommendations and monitoring ongoing activities.

Our scope and associated responsibility exclude for the avoidance of doubt, any form of assurance of the commercial merits, technical feasibility, accuracy, compliance with applicable legislation, and accordingly we express no opinion thereon. We have also not verified any likelihood, timing or effect of possible future oriented information and commercial risks associated with the Framework, nor comment upon the possibility of any financial projections being achieved. We have relied on the information furnished by the Company and have not independently verified the information or efficacy and reliability of the Company's information technology systems, technology tools / platforms or systems.

Conclusion

Our conclusion has been formed on the basis of, and is subject to, the matters outlined in this report.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our conclusion.

KPMG Assurance and Consulting Services LLP, an Indian limited liability partnership and a member firm of KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee

KPMG (Registered) (a partnership firm with Registration No. BA-62445) converted into KPMG Assurance and Consulting Services LLP (a Limited Liability Partnership with LLP Registration No. AAT-0367), with effect from July 23, 2020

Registered Office:
2nd Floor, Block T2 (B Wing)
Lodha Excelus, Apollo Mills
Compound, N M Joshi Marg,
Mahalaxmi, Mumbai - 400 011

KPMG Assurance and Consulting Services LLP
Building No. 10, 4th Floor, Tower-C
DLF Cyber City, Phase - II
Gurugram - 122 002 (India)

Telephone: +91 124 336 9000
Fax: +91 124 336 9001
Internet: www.kpmg.com/in

Based on the procedures performed and evidence obtained, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Framework developed by Canara Bank is not properly prepared, in all material respects, based on Framework for Acceptance of Green Deposits – in response to RBI *Notification* dated on 11th April 2023.

The Framework has been evaluated against the Framework for Acceptance of Green Deposits – as per RBI Notification dated on 11th April 2023. These criteria have been developed only for Green Deposits related requirements. As a result, the Framework may not be suitable for another purpose.

Independence

The assurance was conducted by a multidisciplinary team including professionals with suitable skills and experience in assuring environmental, social, and economic information in as per requirements of ISAE 3000 (Revised).

Our work was performed in compliance with the requirements of the IFAC Code of Ethics for Professional Accountants, which requires, among other requirements, that the members of the assurance team (practitioners) be independent of the assurance client, in relation to the scope of this assurance engagement, including not being involved in writing the Report. The Code also includes detailed requirements for practitioners regarding integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and professional behaviour. KPMG has systems and processes in place to monitor compliance with the Code and to prevent conflicts regarding independence. The firm applies ISQC-1, and the practitioner complies with the applicable independence and other ethical requirements of the IESBA code.

Restriction of Use of Our Report

Our report should not be regarded as suitable to be used or relied on by any party wishing to acquire rights against us other than the Company for any purpose or in any context. Any party other than the Company who obtains access to our report or a copy thereof and chooses to rely on our report (or any part thereof) will do so at its own risk. We accept or assume no responsibility and deny any liability to any party other than the Company for our work, for this independent limited assurance report, or for the conclusions we have reached.

Saurabh R. Kamdar

Saurabh Kamdar

Associate Partner, ESG,

KPMG Assurance and Consulting Services LLP

Date- 5th August 2023

KPMG Assurance and Consulting Services LLP, an Indian limited liability partnership and a member firm of KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee

KPMG (Registered) (a partnership firm with Registration No. BA-62445) converted into KPMG Assurance and Consulting Services LLP (a Limited Liability Partnership with LLP Registration No. AAT-0367), with effect from July 23, 2020

Registered Office:
2nd Floor, Block T2 (B Wing)
Lodha Excelus, Apollo Mills
Compound, N M Joshi Marg,
Mahalaxmi, Mumbai - 400 011